न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या 02/2011

बंशीलाल उचित मूल्य दुकानदार मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2010 न्यायालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़, मुकदमा नम्बर 79/2010, अनवानी सरकार बनाम बंशीलाल उचित मूल्य दुकानदार मोठसरा तहसील भादरा में पारित निर्णय को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत।

उपस्थितः–1–श्री राजेश रोकणा वकील अपीलान्ट
3–श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–08.02.2017

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट उचित मूल्य की दुकान मोठसरा तहसील भादरा का डीलर हैं। ग्राम पंचायत मोठसरा के राशन कार्ड धारियों को उचित मूल्य की आवश्यक वस्तुओं का वितरण करता है। सिर्फ गांव मोठसरा के 2–4 गिने चुने व्यक्तियों द्वारा मुख्यतः सुरेन्द्रपाल पुत्र राम कुमार बैनीवाल द्वारा सिर्फ राजनैतिक रंजिश वंश झूठी शिकायत की गई है। जो वास्तविक तथ्यों से परे है। जांच प्रवर्तन अधिकारी से दिनांक 22.7.10, 21.11.2010 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में करवाई गई। जो शिकायतकर्ताओं के घर बैठकर जांच रिपोर्ट तैयार की हैं जांच के अनुसार प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

नोटिस जारी किया गया । अपीलांट द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के साक्ष्य व जबाव को दरकिनार करते हुए जांच रिपोर्ट का सही विवेचन किये बिना सिर्फ झूठी शिकायत बिना आधार के बिना साक्ष्य सबूत के की गई को सही मानते हुए अपीलांट का प्राधिकर पत्र निरस्त किया गया व जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त की गई है व पी.डी.आर एक्ट अपीलांट से वसूली कार्यवाही करने व धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.12.2010 को पारित किया गया। जिसके विरूद्व यह अपील की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट का अवलोकन नही किया। कुछ राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्ति अपीलान्ट से मात्रा से अधिक राशन मांगने पर अपीलान्ट द्वारा मना करने पर अपीलान्ट से द्वेषता रखने लग गये और अपीलांट को नुकसान पहुचाने के लिए झूठी शिकायत की गई है। जांच कर्ता द्वारा शिकायत के बिन्दुओ से हटकर जांच की गई है जिसमें अपीलान्ट पर बिना सबुत के आरोप लगाये गये है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत मोठसरा व अस्थाई सुरतपुरा पंचायत की दो उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा था। अपीलान्ट ने अज्ञानतावश माह अप्रेल व मई 2006 की गेहूँ व चावल क्रय–विक्रय सहकारी समिति भादरा व नोहर से उठा लिया। क्रय विक्रय सहकारी समिति भादरा व नोहर से उठाया गया गेहूँ व चावल का वितरण उपभोक्ताओ को राशन कार्ड मे इन्द्राज कर निर्धारित दर पर नियमानुसार वितरण कर दिया गया। अपीलान्ट ने स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर सूचना का अधिकार के तहत मांगी सूचना नायब तहसीलदार भादरा को व एस.डी.एम. कोर्ट में जमा करवा दिये है जिसकी रसीद अपीलान्ट को नही दी गई। उपभोक्ताओ ने पूछताछ में वर्ष 2006 के उठाव व वितरण के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। अपीलान्ट द्वारा फर्जी राशन कार्ड नही बनाये गये। राशन कार्ड बनाने के अधिकार अपीलान्ट को नही है। अपीलान्ट बने राशन कार्ड पर राशन देने से कानूनन इन्कार नही कर सकता। वर्तमान सरपंच द्वारा फर्जी राशन कार्ड को निरस्त किये गये की सूची सचिव द्वारा अपीलान्ट को दिये जाने के पश्चात से निरस्त कार्डो पर राशन वितरण नही किया गया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जांच रिपोर्ट दिनांक 21.11.2010 के अनुसार की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव में आकार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत होने पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच करवाये जाने पर अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान मोठसरा व अस्थाई चार्ज सुरतपुरा के नाम से माह अप्रैल, मई, 2006 की दो माह की गेहूँ व चावल आवंटित मात्रा को क्रय विक्रय सहकारी समिति नोहर व भादरा से दो बार उठाया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय में वर्ष 2006 से संबंधत रिकार्ड पेश नही किया गया। अपीलान्ट द्वारा दो बार राशन उठाकर गम्भीर अनियमिताऐं की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंधन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि जांच कर्ता द्वारा शिकायत के बिन्दुओं से हटकर जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध हुई शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी से जांच करवाई गई। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 08.2.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official